

## -:आदेश:-

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1315/11-2012-30(5)/2011 दिनांक 12-12-2012 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०:-	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम
1	2	3	4
01	2657	राजकुमार शर्मा / शिवलाल शर्मा	अलीगढ़
02	2721	रवीन्द्र कुमार / खेमचन्द्र	बुलन्दशहर
03	2759	रिजवाना बेगम/ मो० वसीम	मुख्यालय
04	2760	अवध राम/ सुकरु प्रसाद	मुख्यालय
05	2761	मो० तारिक फारुकी/ अली मो० फारुकी	प्रयागराज
06	2762	रंजीत कुमार/ राम स्वरुप	लखनऊ
07	2763	रमेश कुमार यादव/ शिव पूजन यादव	सन्तकबीरनगर
08	2764	सुरेश वर्मा/ डी०एन० वर्मा	लखनऊ
09	2765	राज किशोर वर्मा / श्री कृष्ण वर्मा	मुख्यालय
10	2766	मनीष कुमार रजक/ खुमान रजक	ललितपुर
11	2767	धर्मेन्द्र कुमार/ शंकर लाल	सहारनपुर
12	2769	शिव कुमार/ राम सिंह	अयोध्या
13	2770	लोकेन्द्र सिंह परिहार/ रघुवीर सिंह परिहार	झाँसी
14	2771	संजय कुमार सैनी/ महेन्द्र कुमार सैनी	बुलन्दशहर
15	2773	राकेश कमल गौतम/ काली चरन	मुख्यालय
16	2774	मंगल सेन/ छदममी लाल	बरेली

- उपरोक्त क्रमांक-09 (ज्येष्ठता क्रमांक-2765) पर अंकित कार्मिक को माननीय उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन पदोन्नति प्रदान की जाती है।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामिल कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक 16-10-2023 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 20-10-2023 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये।
- संबन्धित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस आदि निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई०ओ०डब्ल्यू० जाँच चल रही हो, तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।

(रिया केजरीवाल)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जौनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से)।

(दिनेश कुमार वर्मा)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।